भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 502

22 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

बाढ़ प्रभावित जिलों में खाद्यान्न की आपूर्ति

502. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल के बाढ़ के मौसमों के दौरान बड़े पैमाने पर विस्थापन और आजीविका के नुकसान को देखते हुए असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में खाद्यान्न की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल निधि, राज्य आपदा मोचन बल निधि और अन्य विशेष पैकेजों के तहत आवंटन सहित राहत के रूप में जारी और वितरित किए गए खाद्यान्न की मात्रा का जिला-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे राहत खाद्यान्नों की खरीद, परिवहन, भंडारण और वितरण में शामिल केंद्रीय और राज्य अभिकरणों का ब्यौरा क्या है तथा विलंब और कमी से बचने के लिए स्थापित की गई समन्वय प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा असम में बाढ़ राहत के लिए खाद्यान्न की खरीद, परिवहन, भंडारण और वितरण पर किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारत सरकार अपने डिपुओं में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करती है तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (असम सरकार सहित) द्वारा सूचित लाभार्थियों की पहचान के आधार किए गए खाद्यान्न आवंटन के अनुसार खाद्यान्न जारी करती है।

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जिला-वार आवंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न का वितरण राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

...2/-

(ख): वित्त वर्ष 2025-26 के लिए असम सरकार को 16.95 लाख टन खाद्यान्न (अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 16.41 लाख टन चावल तथा टाइड-ओवर श्रेणी के अंतर्गत 0.54 लाख टन गेहूं) आवंटित किया गया है और वित्त वर्ष 2026-27 (जून, 2026 तक) के लिए 4.23 लाख टन खाद्यान्न (अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 4.11 लाख टन चावल तथा टाइड-ओवर श्रेणी के अंतर्गत 0.12 लाख टन गेहूं) आवंटित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन तथा संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त मांग-पत्रों (इंडेंट) के आधार पर भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न जारी करता है। बाढ़ के मौसम के दौरान राज्य सरकार को ई-नीलामी के बिना ओएमएसएस (घरेलू) के माध्यम से बिक्री का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मात्रा टन में)

वित्त वर्ष	उप-आवंटन	उठान
2025-26	14536	2339.51
2026-27 (जून 2026 तक)	17000	149.53

लाभार्थियों को वास्तविक वितरण तथा योजनावार उपयोग (एसडीआरएफ/एनडीआरएफ आदि सहित) राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उठान की जिले-वार स्थिति अनुबंध में संलग्न है।

(ग): सरकार, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकता एवं वितरण के अनुरूप देशभर में नामित डिपुओं/भांडागारों में मुख्यतः गेहूं और चावल का भंडारण करती है। इसके अतिरिक्त, खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण तथा नामित डिपुओं/स्थानों तक उनका परिवहन एफसीआई द्वारा किया जाता है। एफसीआई अन्य राज्य एजेंसियां के साथ मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं एवं धान की खरीद करती हैं। किसानों से खाद्यान्न की खरीद मुख्यतः राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है और एफसीआई की हिस्सेदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद कार्यों में अपेक्षाकृत सीमित है।

बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों सहित लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण राज्य सरकार द्वारा अपनी नामित एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा एफसीआई, राज्य सरकार के अधिकारियों तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों के बीच नियमित बातचीत के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है।

...3/-

(घ): भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्नों के वितरण हेतु विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति अपनाने वाले राज्यों जिसमें असम भी शामिल है, द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा की जाती है। आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी), जिस पर राज्यों को खाद्यान्न (गेहूं, चावल और मोटे अनाज) जारी किए जाते हैं, के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी के रूप में की जाती है। बफर स्टॉक के रखरखाव के लिए भी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को निधियां जारी की जाती हैं। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार डीसीपी राज्यों तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्य सब्सिडी जारी की जाती हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य वार निधियां आंवटन नहीं की जाती है। इसके अलावा, केंद्रीय पूल हेतु राज्यों द्वारा सुपुर्द की गई खाद्यान्न की मात्रा के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राज्यों को निधियां भी जारी की जाती हैं। असम केवल 2 जिलों के लिए डीसीपी राज्य है और वर्ष 2023-24 से डीसीपी पद्धति को अपनाया है। डीसीपी पद्धति के तहत असम को जारी की गई खाद्य सब्सिडी निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वित्त वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	2020-21	-
2.	2021-22	-
3.	2022-23	-
4.	2023-24	-
5.	2024-25	-
6.	2025-26	94.20

इसके अलावा, बाढ़ राहत प्रचालनों से संबंधित व्यय, जिसमें एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत किए गए व्यय भी शामिल हैं, राज्य सरकार/संबंधित प्राधिकारियों द्वारा वहन और संकलित किए जाते हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 22.07.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 502 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र. सं.	जिला	उप-आवंटन (टन)	उठान की गई मात्रा (टन)
1	बजाली	748	0
2	बक्सा	80	0
3	बारपेटा	873	0
4	बिश्वनाथ	378	0
5	बोंगईगांव	118	0
6	कछार	1040	0
7	चराइदेव	180	9.399
8	चिरांग	47	8.214
9	दरांग	899	0
10	धेमाजी	612	131.913
11	धुबरी	2400	0
12	डिब्रूगढ़	283	0
13	दीमा हसाओ	10	0
14	गोलपाड़ा	300	0
15	गोलाघाट	590	0
16	हैलाकांडी	647	0
17	होजाई	364	0
18	जोरहाट	150	0
19	कामरूप	50	0
20	कामरूप (एम)	156	0
21	कार्बी आंगलोंग	59	0
22	कोकराझार	110	0
23	लखीमपुर	911	0
24	माजुली	403	0

25	मोरीगांव	513	0
26	नगांव	1418	0
27	नलबाड़ी	675	0
28	शिवसागर	539	0
29	सोनितपुर	379	0
30	दक्षिण सलमारा मनकाचर	259	0
31	श्रीभूमि	1403	0
32	तामुलपुर	116	0
33	तिनसुकिया	250	0
34	उदलगुड़ी	9	0
35	पश्चिम कार्बी आंगलोंग	31	0
कुल		17000.00	149.53
